राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–2715523, E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/EC-24/2017–18/7886 दिनांक: 02/11/17

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषयः–राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 24 वीं बैठक दिनांक 31.10.2017 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 31.10.2017 को आयोजित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 24 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान), शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौधोगिकी विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
13. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डॉ॰ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
20. श्रीमती शकुन्तला गट्टानी, प्रान्तीय सह मंत्री, जनजाति शिक्षा, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर।
21. श्री जगदीश कुलमी, प्रान्तीय प्रकल्प प्रमुख, जनजाति शिक्षा, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर।
22. श्री चतुर्भुज महावर, से.नि. उपनिदेशक (शिक्षा), बून्दी।
23. श्रीमती रचना आसोपा, जी.डी. कॉलेज, अलवर।
24. श्री रामअवतार, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, बून्दी।
25. श्रीमती इन्दिरा शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, बून्दी।
26. श्री रामलाल जाट, प्रधान, अरांई, जिला अजमेर।
27. रेखा मीणा, प्रधान, पावटा जिला जयपुर।
28. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
29. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
30. उपायुक्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रामाशिप, जयपुर।
31. अधिक्षण अभियन्ता, रामाशिप, जयपुर।
32. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से संबंधित अनुपालना सुनिश्चित करें।
33. उपनिदेशक/शाला दर्पण/सी.एस.आर. प्रभारी कार्यालय उपनिदेशक मा.शि. शिक्षा संकुल जयपुर।
34. एम.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की वैब पोर्टल पर अपलोड करावें।
35. कार्यालय प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/ईसी 24वीं मीटिंग मिनिट्स/2017–18/ दिनांक:

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 24वीं बैठक दिनांक 31.10.2017 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	विवरण	निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या– 01** निष्पादक समिति की दिनांक 13.07.2017 को आयोजित 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदन किया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या– 02** 1. राज्य सरकार द्वारा (Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017) का नोटिफिकेशन दिनांक 12.09.17 को जारी किया गया, जो कि संलग्न है। 2. पॉलिसी के बिन्दु 2.2 के अनुसार राज्य के 300 राजकीय विद्यालयों को पीपीपी पॉलिसी अंतर्गत निजी भागीदार को प्रबंध एवं संचालन के लिए दिया जाना है। 3. पॉलिसी के बिन्दु 5.1.2 के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों का प्रबंधन एवं संचालन निजी भागीदार को दिये जाने हेतु निजी भागीदार का चयन पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा किया जाना है तथा निजी भागीदार को निविदा अनुरूप स्वीकृत प्रति विद्यार्थी व्यय का पुनर्भरण किया जायेगा। 4. इसके क्रियान्वयन हेतु पॉलिसी के बिन्दु 7 अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है एवं पॉलिसी के बिन्दु 8.1 के अंतर्गत State Level Appraisal Committee (SLAC) रामाशिप, जयपुर की अध्यक्षता में गठित की गई, जो कि निजि पार्टनर के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया भी सम्पन्न करेगी। 5. पॉलिसी के बिन्दु संख्या 9.2.1 के अनुसार "RCSE will be Nodal Agency for carrying out bid process for selection of PPP Partner under clause 5.1.2. State Level Appraisal Committee (SLAC) will act as bid process committee for this purpose". 6. अतः उपरोक्तानुसार पॉलिसी के क्रियान्वयन के क्रम में बिड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन किया गया। (रामाशिप, जयपुर का आदेश क्रमांक 6260 दिनांक 09.10.17) 7. इसके उपरांत State Level Appraisal Committee (SLAC) की प्रथम बैठक दिनांक 24.10.17 को आयोजित की गई। बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :– 5.1. तकनीकी कमेटी द्वारा तैयार ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट (Draft of Request for proposal & Concession Agreement) पर गहन विचार–विमर्श व चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट को रामाशिप, जयपुर की निष्पादक कमेटी	विड Documents एवं concession Agreement के ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा की गई जिन पर निम्न सुझाव प्राप्त हुए :– • विड में स्पष्ट किया जाये कि इसी विडर को प्रीमियम देय नहीं होगा तथा अधिकतम डिस्टकाउन्ट देने वाले विडर को कन्सिडर किया जायेगा। • पीपीपी 2017 के Document को रमसा/एसएसए/ स्कूल शिक्षा विभाग तथा शिक्षा विभाग की वेबसाइटस पर अपलोड कर 15 दिवस की अवधि में सुझाव मांगे जावे। • जन साधारण तथा stakeholder से सुझाव प्राप्त करने के लिये नोडल ऑफिसर का नाम, मोबाईल नं. तथा पीपीपी सेल का ई–मेल भी लिखा जावें। • पीपीपी 2017 Document को किसी विधि विशेषज्ञ Legal Expert से दिखा कर सुझाव ले लिया जावे।

	के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे, जो कि पॉलिसी के बिन्दु 8.2 के अंतर्गत State Level Empowered Committee (SLEC) है। 5.2. ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट (Draft of Request for proposal & Concession Agreement) को रामाशिप, जयपुर की निष्पादक समिति में अनुमोदन उपरांत विभागीय वेबसाईट्स पर आमजन के सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अपलोड किया जावें। अतः ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट (Draft of Request for proposal & Concession Agreement) तैयार करने की प्रक्रिया एवं State Level Appraisal Committee (SLAC) की अनुशंषा अनुसार ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट को विभागीय वेबसाईट्स पर 15 दिवस तक आमजन के सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अपलोड किये जाने के लिए निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। विभागीय वेबसाईट्स पर सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त सुझाव/टिप्पणियां State Level Appraisal Committee (SLAC) में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। उसके उपरांत पॉलिसी को बिन्दु संख्या 9.2.1 अनुसार बिड डॉक्यूमेंट के अंतिम अनुमोदन हेतु पुनः State Level Empowered Committee (SLEC) में प्रस्तुत किया जाना है। **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।**	
3	**प्रस्ताव संख्या– 03** वर्तमान में फील्ड के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु व मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 27.09.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 1 को निष्पादक समिति की आगामी 24 वीं बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। (अवलोकनार्थ ध्वज ए पर बैठक कार्यवाही विवरण) सीबीएसई द्वारा जारी नये दिशा–निर्देश अनुसार विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाना आवश्यक है। अतः सभी मॉडल विद्यालयों में 16 सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु 1.00 लाख रू. तक की राशि स्वीकृत की जावे तथा एक वर्ष पश्चात् प्रति कैमरा 500 रू. प्रतिवर्ष की ए.एम.सी. स्वीकृत की जावे। यह व्यय वर्तमान में स्वीकृत गतिविधि मद में से देय होगा। उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया।
4	**प्रस्ताव संख्या– 04** वर्तमान में फील्ड के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु व मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 27.09.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 2 को निष्पादक समिति की आगामी 24 वीं बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। (अवलोकनार्थ ध्वज ए पर बैठक कार्यवाही विवरण) सत्र 2014–15 से संचालित 66 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 11 प्रारंभ हो गई है। उसके अनुरूप स्टॉफ में भी वृद्धि हुई है। अत अन्य राजकीय विद्यालयों की तरह सत्र 2017–18 में 500 से अधिक विद्यार्थी होने पर	• मॉडल स्कूल में LDC, UDC के पद स्वीकृत है। अतः कार्यालय सहायक (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी) पद की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन नहीं किया गया।

	एक कार्यालय सहायक का पद स्वीकृत किया जावे, जिसका वार्षिक अनुमानित व्यय निम्न प्रकार है :– **पद** | **प्रति विद्यालय संख्या** | **कुल संख्या** | **ग्रेड पे** | **संभावित वार्षिक व्यय (रू.में)** | **नियुक्ति का प्रकार** कार्यालय सहायक (अति. प्रशासनिक अधिकारी) | 1 | 66 | 3600 | 428808x66 = 2,83,01,328 | प्रतिनियुक्ति उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
5	**प्रस्ताव संख्या– 05** वर्तमान में फील्ड के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु व मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 27.09.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 3 को निष्पादक समिति की आगामी 24 वीं बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। (अवलोकनार्थ ध्वज ए पर बैठक कार्यवाही विवरण) मॉडल स्कूलों में अन्य कार्यरत सेवाओं के समान सहायक सेवा, चौकीदार सेवा अथवा अन्य सेवाओं का मासिक मानदेय रामाशिप, जयपुर द्वारा राज्य एवं जिला कार्यालयों में लगाई गई विभिन्न सेवाओं के अनुरूप (परिषद् पत्रांक रामाशिप / जय / 35034 / 2014 – 15 / 9902 दिनांक 31.12.14) तथा रामाशिप / जय / फा – 35119 प्लेसमेंट एजेन्सी टेण्डर 495 दिनांक 04.02.16) प्रति वर्ष मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जावे। उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सेवा प्रदाता फर्म के द्वारा प्रदान की जा रही सहायक सेवा, चौकीदार सेवा एवं अन्य सेवाओं यथा– PTI Cum YOGA, Music, Art & Craft, Work experience etc. के लिये नवीन निविदा हेतु प्रपत्र में मासिक मानदेय राशि में 10 प्रतिशत की बढोतरी की स्वीकृति अनुमोदित की जावे।
6	**प्रस्ताव संख्या– 06** वर्तमान में फील्ड के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु व मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 27.09.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 8 को निष्पादक समिति की आगामी 24 वीं बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। (अवलोकनार्थ ध्वज ए पर बैठक कार्यवाही विवरण) विद्यार्थियों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट हेतु पूर्व में स्वीकृत 50,000 रू. प्रतिवर्ष की राशि को बढ़ाकर 60,000 रू. प्रतिवर्ष किया जावे। यह अतिरिक्त व्यय वर्तमान में स्वीकृत गतिविधि मद में से देय होगा। उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
7	**प्रस्ताव संख्या– 07** वर्तमान में फील्ड के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु व मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 27.09.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 12 को निष्पादक समिति की आगामी 24 वीं बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। (अवलोकनार्थ ध्वज ए पर बैठक कार्यवाही विवरण)	अनुमोदन किया गया।

	सीबीएसई द्वारा परिवर्तित परीक्षा पद्धति के बाबत दिशा–निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मॉडल स्कूलों के परीक्षा प्रभारी की दो दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जावे। उक्त कार्यशाला हेतु जिसमें टीए/डीए नियमुनसार संबंधित विद्यालय द्वारा देय होगा। प्रत्येक संभागी को 250 रू. प्रतिदिन की दर से आवास एवं भोजन के लिए स्वयं के विद्यालय से स्वीकृत किये जावे। यह राशि प्रशिक्षण आयोजन करने वाले मॉडल विद्यालय को देय होगी। साथ ही संदर्भ व्यक्ति को प्रतिदिवस 1000 रू. मानदेय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे। यह व्यय वर्तमान में स्वीकृत गतिविधि मद में से देय होगा। उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
8	**प्रस्ताव संख्या– 08** वर्तमान में फील्ड के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु व मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 27.09.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 13 को निष्पादक समिति की आगामी 24 वीं बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। (अवलोकनार्थ ध्वज ए पर बैठक कार्यवाही विवरण) मॉडल विद्यालयों में आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की वेशभूषा, साज–सज्जा व अन्य सामग्री (Costum, Ornaments) हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम 10,000 रू. की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। यह व्यय वर्तमान में स्वीकृत गतिविधि मद में से देय होगा। प्रस्ताव संखय 2 से 7 शैक्षणिक कौर गुप के बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप दिनांक 27.09.17 पर लेखा शाखा की टिप्पणी के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, परंतु बैठक कार्यवाही विवरण प्रारूप के बिन्दु संख्या 7, 9 व 11 को निष्पादक समिति के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। (संलग्न नोटशीट की प्रति) अतः प्रस्ताव संख्या 1 से 7 निष्पादक समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
	पूरक प्रस्ताव	
1	**प्रस्ताव संख्या– 01** 5 अगस्त 2017 को उद्घाटन के पश्चात् 3 करोड 93 लाख रूपये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में एकत्रित हुए है। इस राशि में से प्रशासनिक व अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु राशि सुरक्षित रखते हुए 3.5 करोड रूपये की राशि विद्यालयों के विकास कार्यों के उपयोगार्थ निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है– I. राज्य में कुल 63.4 हजार राजकीय विद्यालय है। इनमें से अधिकांश विद्यालय केन्द्र व राज्य समर्थित योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु पात्र है किन्तु शहरी क्षेत्र के विद्यालय अनेक	33 जिलों में एक–एक शहरी क्षेत्र के आदर्श विद्यालयों को विकास के लिये चयनित किये जाने के साथ अनुमोदन किया गया। उपलब्ध राशि के आधार पर चरणबद्व तरीके से विद्यालयों को विकास कार्य हेतु राशि जारी की

	क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते है जिससे विकास कार्यों हेतु धनराशि का अभाव रहता है। II. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के 281 आदर्श विद्यालय चिन्हित किये है जिन्हे वर्ष 2018 तक आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाना है। इन शहरी आदर्श विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में से राशि प्राप्त करने की संभावना बहुत कम होने के कारण मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में उपलब्ध राशि से प्रत्येक जिले के एक–एक शहरी आदर्श विद्यालय (कुल–33) को चिन्हित कर पूर्ण आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु राशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। III. प्रथम चरण में इन चिन्हित 33 विद्यालयों को प्रति विद्यालय 50 लाख रूपये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में से राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	जावे।
2	**प्रस्ताव संख्या– 02** ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्घाटन 5 अगस्त 2017 को किया गया था जिसके उद्घाटन के 15 दिवस में जिलों के माध्यम से 3.60 करोड रूपये की राशि प्राप्त कर ली गई थी किन्तु उसके दो महिने उपरान्त मात्र 33 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे प्रतीत होता है कि विभाग से बाहर के व्यक्तियों को अभी भी पोर्टल के बारें में जानकारी नहीं है जबकि विभाग द्वारा लगातार इस बाबत प्रयास किये जा रहे है, विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं/संगठनों से पत्र व्यवहार किया जा रहा, फेसबुक व ट्विटर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा अन्य विभागों की वेबसाइट पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदर्शित करवाई गई है। अतः यह प्रतीत होता है कि पोर्टल का प्रचार–प्रसार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली किसी संस्था से करवाया जाना आवश्यक है। आमजन में इस पोर्टल के सम्बन्धित व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी को कम से कम एक से तीन माह हेतु अनुबंधित करते हुए मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के प्रशासनिक व्यय मद से भुगतान किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	अनुमोदन किया गया। RTPP Act के प्रावधान अनुसार पोर्टल के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रथम तीन माह के लिये एजेन्सी को अनुबंधित किया जावे।
3	**प्रस्ताव संख्या– 03** ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् नोडल एजेन्सी है। इस हेतु परिषद् व निदेशालय स्तर पर सीएसआर प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्रकोष्ठ द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के विकास, प्रचार प्रसार सहित विभिन्न कम्पनियों/भामाशाहों व जिला कार्यालयों के साथ सम्पर्क कर कार्य सम्पादित किया जाता है। मोबाइल सुविधा के अभाव में विभिन्न कम्पनियों/संस्थानों/भामाशाहों व जिला कार्यालयों से समय पर सम्पर्क स्थापित किया जाना असंभव हो जाता है। अतः सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर व बीकानेर में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के मोबाइल फोन के उपयोग पर हुए व्यय हेतु रू 600/– प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति की अधिकतम सीमा तक पुनर्भरण भुगतान रमसा एम.एम.ई.आर. मद से किये जाने हेतु निष्पादक समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	MMER मद के स्थान पर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के प्रशासनिक व्यय मद से भुगतान की स्वीकृति अनुमोदित की गई।

4	**प्रस्ताव संख्या– 04** पीपीपी Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017 के क्रियान्वयन के क्रम में रामाशिप, जयपुर में स्थित पीपीपी सेल हेतु एक वरिष्ठ लिपिक/कनि. लिपिक (प्रतिनियुक्ति पर) एवं एक कम्प्यूटर ऑपरेटर (मेन विद मशीन एजेन्सी के माध्यम से) लगाने की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। जिस पर वार्षिक अनुमानित व्यय निम्नानुसार है :– **वार्षिक अनुमानित व्यय (रूपयों में)** **वरिष्ठ लिपिक/कनि. लिपिक** — 3,60,000 **कम्प्यूटर ऑपरेटर (मैन विद मशीन एजेन्सी के माध्यम से)** — 1,20,000 **अतः प्रस्ताव निष्पादक समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	अनुमोदन किया गया। प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले LDC की कम्प्यूटर योग्यता ध्यान में रखी जावे।
5	**प्रस्ताव संख्या– 05** राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग क्रमांकः प. 6(21)प्र.सु./अनु.3/2017 जयपुर दिनांक 16/06/2017 के अनुसार गठित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति में क्रमांक 21 से 29 तक के सदस्यों (बाहरी गणमान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों) को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की निष्पादक समिति में लिये निर्णयानुसार 1000 रू. प्रति बैठक मानदेय एवं यात्रा भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। संलग्न :– 1. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की 13 वीं बैठक 10 अप्रेल 2017 का कार्यवाही विवरण। 2. राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग क्रमांकः प. 6(21)प्र.सु./अनु.3/2017 जयपुर दिनांक 16/06/2017 के अनुसार गठित निष्पादक समिति आदेश। **उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	अनुमोदन किया गया।
6	**प्रस्ताव संख्या– 06** विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक एवं संस्थाप्रधान की मुख्य भूमिका होती है। इस तथ्य के मद्देनजर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्थाप्रधानों हेतु School Leadership Devleopment (SLDP) कार्यक्रम के अंतर्गत लीडरशिप प्रशिक्षण (न्यूपा मॉड्यूल पर आधारित) कराये जाते हैं तथा विषयगत शिक्षक, प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि कराये जाते है। इन जिला स्तर एवं राज्य स्तर के दक्ष प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु 400 रूपये प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान हो प्रशिक्षणों की गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है किंतु इतने कम मानदेय में प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने में रूचि नहीं लेते है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) विभाग (ह.च.मा रीपा) के आदेश क्रमांकः एफ 4 (3) प्रसु/प्रप्र/प्लान/रीपा83/9952 जयपुर दिनांक 05 अगस्त 2016 के अनुसार रीपा जयपुर एवं इसके क्षेत्रीय संस्थानों में सभी प्रकार के कार्यक्रमों/कार्यशालाओं, सेमीनारों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के कार्यक्रमों मेंय आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को प्रति सत्र (75 मिनट की अवधि) के	अनुमोदन किया गया।

	लिये 1000 रूपये (एक हजार रूपये मात्र) तथा 750 रूपये (सात सौ पचास रूपये मात्र) दिये जाते है। (ध्वज 'अ' पर संलग्न) इस आदेश से पूर्व रीपा में अतिथि वक्ताओं को 750/– प्रति सत्र दिये जाते थे जिसके आधार पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT) जयपुर भी अतिथि वक्ताओं को प्रति सत्र 750/– की दर से मानदेय का भुगतान कर रहा है। अतः राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अच्छे संदर्भ व्यक्तियों को जोड़ने की नितांत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब इसके मानदेय में स्तारानुसार वृद्धि की जावे। यह भी स्पष्ट है कि रामाशिप में कार्य करने वाले प्रशिक्षण पूरे दिन वहां रहकर अपना सत्र लेते हैं। अतः इसके मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि प्रस्तावित है :– • राज्य स्तर के संदर्भ व्यक्ति (KRP)का मानदेय :– 1000 रू. प्रतिदिन • अन्य संदर्भ व्यक्तियों (MT) का मानदेय :– 750 रू. प्रतिदिन उपरोक्त के संदर्भ में प्रशिक्षणों में लगे संदर्भित व्यक्तियों के मानदेय में उपरोक्तानुसार वृद्धि हेतु प्रस्ताव निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
7	**प्रस्ताव संख्या– 07** पी.ए.बी. के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा MSDP, TSP, DMFT, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं नाबार्ड योजना में स्वीकृत वे निर्माण कार्य जो कि राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कराये जा रहे है, पर MHRD द्वारा स्वीकृत कार्यो के अनुरूप ही परिषद् मुख्यालय पर 1% क्वालिटी कन्ट्रोल एवं 3% राशि आकस्मिक व्यय में रखना तथा इस राशि का उपयोग सिविल शाखा के कार्मिको के वेतन एवं भत्ते सिविल शाखा से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय तथा निर्माण कार्यो के क्वालिटी कन्ट्रोल पर होने वाले व्यय में शामिल करने हेतु प्रस्ताव :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत MHRD द्वारा स्वीकृत कार्यो पर 1% क्वालिटी कन्ट्रोल एवं 3% कन्टीजेन्सी चार्ज का प्रावधान 7 वीं EC के प्रस्ताव संख्या 9 में अनुमोदन उपरांत आदेश क्रमांक 283 दिनांक 27.07.2011 से स्वीकृत है। इसी अनुरूप अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत कार्यो पर वित्तीय स्वीकृति का 1% क्वालिटी कन्ट्रोल एवं 3: कन्टीजेन्सी के प्रावधान के रूप में रखा जाना प्रस्तावित है। आकस्मिक व्यय की राशि सिविल शाखा के कार्मिकों के वेतन भत्तों तथा सिविल शाखा से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय किया जाना एवं गुण नियन्त्रण की राशि का उपयोग गुण नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। **यह प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।**	अनुमोदन किया गया।
8	**प्रस्ताव संख्या– 08** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की सिविल शाखा में सहायक अभियंता के तीन नवीन पद सृजन करने हेतु प्रस्ताव :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय पर सिविल शाखा में वर्तमान में सहायक अभियंता का एक पद सृजित है। 33 जिलों में विभिन्न योजनाओं में लगभग 2000 विद्यालयों में स्वीकृत/स्वीकृति अधीन सिविल कार्यो की मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग एवं SOP के अनुरूप निविदाओं, तकमीनों, समयावधि प्रकरणों, डेविएसन प्रकरणों, कार्य पूर्णता प्रकरणों की जॉच कार्य तथा समय–समय पर जिलों में भ्रमण कर गुणनियन्त्रण जॉच	अनुमोदन किया गया।

	हेतु कुल 4 सहायक अभियंताओं के पद सृजन किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न योजनाओं के आकस्मिक व्यय मद से इन पदों के वेतन भत्तो का व्यय भार वहन किया जाना प्रस्तावित है। **यह प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।**	
9	**प्रस्ताव संख्या– 09** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा सभी योजनाओं में कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु चयनित कार्यो की थर्ड पार्टी निरीक्षण का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य पर होने वाले व्यय का समायोजन निर्माण कार्यो पर प्रावधित 1 प्रतिशत गुण नियन्त्रण की राशि से किया जाना प्रस्तावित है। **यह प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।**	अनुमोदन किया गया।
10	**प्रस्ताव संख्या– 10** विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त प्रस्तावित भवन निर्माण कार्यो जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से कराये जाने हों, उनमें 9% प्रोरेटा चार्ज के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। ड्रांइग/डिजाइन सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में 7.5% प्रोरेटा चार्ज के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। **यह प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।**	अनुमोदन किया गया।
11	**प्रस्ताव संख्या– 11** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के Mannual on Financial Management and Procurement for RMSA के अनुच्छेद 7.19 के अनुसार वैधानिक अंकेक्षण (statutory Audit) कार्यो हेतु अनुमोदित फर्म मैसर्स एच. जे. एण्ड एसोसिएटस, सी.ए. द्वारा वर्ष 2016–17 में परिषद के अधीनस्थ संचालित योजनाओं यथा रमसा, व्यावसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, बालिका छात्रावास, आईईडीएसएस, आईसीटी की वैधानिक ऑडिट (Statutory Audit) वर्ष 2016–17 का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को यथा समय प्रेषित की जा चुकी है। **अतः उक्त ऑडिट रिपोर्ट (संलग्न) निष्पादक समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	ऑडिट रिपोर्ट में दिये गये Observation की पालना करने की स्थिति में अनुमोदन किया गया।

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक